15-7-19 आज बार संघ ने कार्य नहीं करने का निर्णय लिया है। पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 22-7-19 को पेश हो।

22.7.19 वकील उभयपक्ष उपस्थित। बहस प्रार्थना पत्र सुनी गई। पत्रावली आदेश दिनांक 05-8-19 को पेश हो।

05-8-19 वकील उभय पक्ष उपस्थित। पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त है। पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 07-8-19 को पेश हो।

दिनांक :– 07.08.2019

प्रतिवादी द्वारा दिनांक 20.05.2019 को प्रार्थना पत्र अन्तगर्त अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 (डी) सपठित धारा 151 सी.पी.सी. पेश किया जिसके कथनानुसार उक्त अनवान का वाद वादी/अप्रार्थी द्वारा इस आशय का प्रस्तुत किया है कि प्रश्नगत् कृषि भूमि वाकी 10 वाके चक 3 एमएल के मुरब्बा नम्बर 49 के किला नम्बर 1 ता 12 तथा 13 की 10.12 बीघा तथा मुरब्बा नम्बर 38 के किला नम्बर 13 सालम किला नम्बर 14 ता 25 की 11.10 बीघा कुल 12.16 बीघा भूमि में से 1/6 हिस्सा में आधा कुल में से 7.06 बीघा का खातेदार घोषित किया जाकर तदनानुसार स्थाई निषेधाज्ञा पारित की जावे तथा पत्र दिनांक 15.01.2018 प्रारम्भत शून्य एवं प्रभाव शून्य होने से वादी के विधिक अधिकारों पर प्रभाव शून्य घोषित किया जावे। वादी के वाद पत्र के अभिकथनों के अनुसार पैतृक सम्पत्ति में से किये अन्तकरण दिनांक 15.10.2018 को प्रारम्भतः शून्य एवं प्रभाव शून्य घोषित किया जावे। जबकि पंजीकृत दस्तावेज को निरस्ती अथवा प्रभाव शून्य घोषित किये जाने का क्षेत्राधिकार केवल और केवल सिविल न्यायालय को प्राप्त है। इस प्रकार वाद पत्र के अभिकथनों के अनुसार वाद पत्र सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार में होने से इसी स्तर पर निरस्ती किये जाने योग्य है। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद पत्र सव्यय निरस्त फरमाया जावे।

वादी की ओर से दिनांक जवाब प्रार्थना पत्र अन्तगर्त अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 (डी) सपठित धारा 151 सी.पी.सी. दिनांक 04.07.2019 को पेश किया गया जिसके कथनानुसार आवेदन पत्र की मद संख्या 1 में वर्णित तथ्य मुताबिक वाद पत्र के अभिवचनों के इस संशोधन के साथ स्वीकार है कि वादी के द्वारा वाद पैत्रिक भूमि में अधिकारों की घोषणा एवं निषेधाज्ञा हेतु धारा 88, 188 एवं 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तगर्त प्रस्तुत किया है एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में दी गयी तृतीय

अनुसूचि के तहत ऐसे वाद सुनने की अधिकारिता माननीय न्यायालय को हासिल है।

आवेदन पत्र की मद संख्या 2 में वर्णित तथ्य जिस प्रकार से अंकित किये गये है, स्वीकार नहीं है। यह तथ्य असत्य एवं असंगत होने के कारण तथा वाद पत्र के अभिवचनों के विपरीत होने के कारण अस्वीकार है कि वादी के द्वारा माननीय न्यायालय से यह अनुतोष चाहा है कि पैत्रिक सम्पति में से किये गये अन्तरण दिनांक 15.01.2018 को प्रारम्भतः शून्य एवं प्रभावशून्य घोषित किया जावे वकील प्रतिवादी के द्वारा अपने क्यास से एवं अभिवचनों एवं अनुतोष का अवलोकन किया जावे तो प्रार्थी/वादी के द्वारा माननीय न्यायालय से यह अनुतोष चाहा है कि डिक्री घोषणा बहक वादी खिलाफ प्रतिवादीगण इस अमर की पारित की जावे कि प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा प्रतिवादी संख्या 2 वा 3 के पक्ष में वादाधीन पैत्रिक कृषि भूमि का अपने हक व हिस्सा से अधिक भूमि का दिनांक 15.01.2018 को किया गया उपहार पत्र से अन्तरण प्रारम्भतः एवं प्रभावशून्य दस्तावेज होने के कारण वादी के विधिक अधिकारों पर बेअसर एवं प्रतिकूल दस्तावेज है तथा ऐसे शून्य अन्तरण के आधार पर प्रतिवादी संख्या 2 वा 3 के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में किये गये इन्द्रराज को संशोधित कर वादी को वादीधीन पैत्रिक कृषि भूमि के निस्फ हिस्सा का खातेदार अंकन किया जावे उक्त अनुतोष किसी भी प्रकार से किसी भी दस्तावेज का प्रभावशून्य अथवा प्रारम्भतः शून्य घोषित करवाने को अनुतोष चाहने की परिभाषा में नहीं आता हैं चूंकि प्रार्थी/वादी के द्वारा किसी भी पंजीकृत दसतावेज को निरस्त करवाने अथवा प्रभावशून्य होना कथन किया है, तो विधिक प्रावधानों अनुसार ऐसे दस्तावेज को न तो निरस्त करवाने की आवश्यकता एवं ना हीं प्रभावशून्य घोषित करवाने की। इसलिये वाद का क्षेत्राधिकार कतई दीवानी न्यायालय का नहीं हैं वरन् कृषि भूमि में अधिकारों की घोषणा एवं निषेधाज्ञा का वाद सुनने का क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार माननीय न्यायालय को हैं यह तथ्य असत्य एवं असंगत होने के कारण अस्वीकार है कि वाद पत्र के अभिवचनों के अनुसार मौजूदा वाद सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार का है वरन् वाद राजस्व न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का है। प्रतिवादीगण के द्वरा जाब्ता दीवानी में प्रदत्त जवाबदावा प्रस्तुत करने की समयावधि व्यतीत होने के बावजूद आज दिनांक तक जवाबदावा प्रस्तुत नहीं किया है। जवाबदावा प्रस्तुत करने की अवधि व्यतीत होने के उपरान्त मौजूदा प्रार्थना पत्र वेग तथ्यों पर प्रस्तुत किया है जो कि जाहिरा तौर से नाकाबिल चलने के है। जवाबदावा प्रस्तुत करने की अवधि माननीय न्यायालय विधिक प्रावधानों के तहत बढ़ा नहीं सकती है। इसलिये प्रतिवादीगण के जवाबदावा प्रस्तुत करने के अधिकार को समाप्त किया जाकर मौजूदा आवेदन पत्र निरस्त किया जावे।

प्रार्थना पत्र में उठाये गये तथ्य विधि एवं तथ्यों को समाश्रित प्रश्न है जो बाद साक्ष्य ही निर्णित किये जा सकते है चूंकि आज दिनांक तक जवाबदावा प्रस्तुत कर तथ्यों से इन्कार नहीं किया गया है एवं जवाबदावा प्रस्तुत करने का अधिकार एवं अवधि समाप्त हो चुकी है इसलिए आवेदन पत्र सव्यय निरस्त किये जाने योग्य है।

लिहाजा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी/प्रतिवादी सव्यय फरमाया जाकर जवाबदेही बन्द की जावे।

बहस सुनी गई। द्वोराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 2 व 3 द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा प्रतिवादित न्यायिक दृष्टांतों को अपनी बहस के कथनों में दोहराया एवं न्यायिक दृष्टान्त 2017(1)PRT 139 SUPREME COURT, [Citation - 2018(3) CJ(Civ.) (RaJ.)1432] RAJASTHAN HIGH COURT, एवम् [2018 RBJ 718] RAJASTHAN HIGH COURT की प्रतियां पेश की।

विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन कियां गया। प्रार्थना पत्र के तथ्यों एवं पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित न्यायिक दृष्टान्तों का अवलोकन कर प्रतिपादित आदेश पर मनन किया गया। वादी द्वारा वाद अधिकारों की घोषणा बाबत प्रस्तुत किया गया है एवं वादी द्वारा पैतृक सम्पत्ति में से किये गये अन्तरण दिनांक 15.01.2018 को प्रारम्भ से शून्य एवं प्रभाव शून्य घोषित करने का निवेदन किया गया। प्रतिवादी संख्या 2 व 3 को जरिए पंजीकृत बयनामा उपहार स्वरूप भूमि प्राप्त होने के पश्चात् भूमि का इंतकाल राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के नाम दर्ज है।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

प्रकरण सं0 .....अनवान.....

Continuation Note Sheet

पंजीकृत दस्तावेज को निरस्त अथवा प्रभाव शून्य घोषित करने का क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय को है। अतः प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 (डी) सपठित धारा 151 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाकर वादी द्वारा प्रस्तुत वाद इसी स्टेज पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसलाशुमार होकर बाद तकमील जाब्जा दाखिल दफ्तर हो।

(मुकेश बारेठ)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर